(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान हीरे जवाहरात और आभूषणों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्): (क) से (ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है (नीचे देखिए)।

विवरण

(क) से (ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों की तुलना में 1994-95 के दौरान हीरे रत्न एवं आभूषणों का निर्यात एवं उससे अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है:

(मूल्य करोड़ रु० में)

मद	1991-92	1992-92	1993-94	1994-95	1993-94 की तुलना में %वृद्धि
हीरे	5762.56	7791.58	11209.62	12573.39	12.63
सोने के आभूषण	657.54	764.95	967.76	1519.04	53.13
अन्य	330.	340.47	350.91	525.31	49.69
	6750.10	8898.00	12528.29	14617.74	16.76

स्त्रोत: डीडीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता वर्ष 1991-92 से 1993-94 के लिए तथा रत्न एवं आभूषण में ईपीसी 1994-95 के लिए।

(घ) रत्न एवं आभूषण हमारे निर्यातों का एक थ्रस्ट क्षेत्र है; इस क्षेत्र से निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उठाए गए कदमों में नीतियों को बेहतर बनाना, अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी मूल्यों पर कच्चे मालों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करना, निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, बिना किसी प्रतिबंध के कांटे/छेद किए/चीरे गए या बिना ऐसा किए खुरदरे हीरे के पुन:निर्यात की अनुमति देना इत्यादि शामिल हैं।

Allocation of levy sugar on projected opopulation of 1995

1926. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL:
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) how many State Governments have represented to the Central Government for allocating levy sugar on the basis of projected population of 1995 instead of projected population of 1986;

(b) the month from which the Central Government is allowing the request from the States and allotting levy sugar on 1995 projected population basis;

(c) whether the Central Government propose to restore ad-hoc allocation of 5 per cent which was discontinued from April, 1994 onwards; and

(d) whether the Central Government is considering for extra allocation for the areas covered under Revamped Public Distribution System for smooth distribution of levy sugar in remote areas?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH) (a) Almost all the State Governments have been requesting for increase in allocation of levy sugar on the basis of projected population of the State as at present.

(b) Due to constraints in availability of levy sugar, it is not feasible to allocate levy sugar at the present availability norm of 425 grams per capita per month to the projected population of 1995.

(c) Yes, Sir. The additional five per cent ad-hoc allocation of levy sugar is being restored with effect from 1st September, 1995.

(d) No, Sir.

Writing-off of loans of non-core sector

1927. SHRI SANJAY DALMIA:
DR. BAPU KALDATE:
MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the amount which had to be written off as on 31st March, 1995 on account of coal supply to non-core sector through railways; and

(b) the amount outstanding against non-core sector through railways as on 31st March, 1995, and since when?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) No amount had to be written off as on 31.3.95 on account of coal supplied to non-core sector consumers through Railways.

(b) The total amount of outstanding dues from non-core sector consumers for coal supplied through Railways as on 31.3.95 was Rs. 47.03 crores.

भारत में बाल श्रम के संबंध में "यूनीसेफ" का प्रस्ताव

1928. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:**
श्री अनन्तराम जायसवाल:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "यूनीसेफ" ने बाल श्रमिकों के शोषण के संबंध में एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का मूल विषय/आशय क्या है और सरकार द्वारा इस प्रस्ताव के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा बाल श्रमिक शोषण से संबंधित कानून का शीघ्रता से अनुपालन करने के लिये अब तक क्या पहल की गई है और इसका क्या परिणाम निकला है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 जैसे विभिन्न श्रम कानून के तहत किए गए निषेधात्मक उपबंधों के अलावा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों/प्रक्रियाओं में भी बाल श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के विभिन्न उपबंधों का प्रवर्तन कर रहे हैं। अधिनियम के प्रवर्तन का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबोधन किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन किए जाने के बारे में नियोजकों के विरूद्ध दायर किए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	उल्लंघनों की संख्या
1992-93	1884
1993-94	1814
1994-95	2166

अभी तक 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उद्योगों में विभिन्न व्यवसायों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करवाएं। यदि, ऐसे उद्योगों/प्रक्रियाएं जिन्हें रियायतें दी गई हैं, का निरीक्षण करने पर पाया जाता है कि वे विद्यमान कानून का अतिक्रमण करके बाल श्रम का नियोजन कर रहीं हैं तो उन्हें दी जाने वाली रियायतें समाप्त कर दी जाएं। इसके अलावा, बाल श्रम से संबंधित कानूनों का बेहतर प्रभावी ढंग से प्रवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से वर्ष 1993-94 के दौरान कुल 600 निरीक्षकों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश

1929. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 1994-95 के "आर्थिक सर्वेक्षण" में कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश के संबंध में की गई कतिपय टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है;